SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Tumgaon is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Tumgaon shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Tumgaon.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Mahasamund on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अल्ताफ अहमद, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2003

क्रमांक 883/1018/आपर्या/2003.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से परामर्श करने के पश्चात् जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) छत्तीसगढ़ नियम, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 4 के उप-नियम (V) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(V) के आवेदन प्रारूप के साथ अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सम्मति फीस सम्यक् रूप से दी जावेगी :—

अनुसूची

निम्नलिखित का विनिधान करने वाले उद्योग	रुपये
(1)	(2)
1. रुपये 1000 करोड़ से अधिक	10,00,000
2. रुपये 500 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 1000 करोड़ तक	5,00,000
3. रुपये 200 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 500 करोड़ तक	2,50,000
4. रुपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 200 करोड़ तक	1,50,000
5. रुपये 50 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 100 करोड़ तक	1,00,000
6. रुपये 10 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 50 करोड़ तक	80,000
7. रुपये 3 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 10 करोड़ तक	60,000
8. रुपये 2 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 3 करोड़ तक	3,000
9. रुपये 1 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 2 करोड़ तक	2,000
10. रुपये 1 करोड़ तक	1,000

उपरोक्त सम्मति फीस में प्रथम वर्ष की सम्मति नवीनीकरण फीस सम्मिलित है."

(2) नियम 5 के उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(5) आवेदक निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये अनुसार मण्डल की वार्षिक "सम्मति नवीनीकरण फीस" (प्रथम वर्ष की फीस छोड़कर) का संदाय करेगा, अर्थात् :—

अनुसूची

(क)	निम्नलिखित का विनिधान करने वाले उद्योग	रुपये
	(1)	(2)
1.	रुपये 1000 करोड़ से अधिक	2,50,000
2.	रुपये 500 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 1000 करोड़ तक	1,50,000
3.	रुपये 200 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 500 करोड़ तक	1,00,000
4.	रुपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 200 करोड़ तक	75,000
5.	रुपये 50 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 100 करोड़ तक	50,000
6.	रुपये 10 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 50 करोड़ तक	35,000
7.	रुपये 3 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 10 करोड़ तक	25,000
8.	रुपये 2 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 3 करोड़ तक	2,000
9.	रुपये 1 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 2 करोड़ तक	1,000
10.	रुपये 1 करोड़ तक	500

(ख) नैसर्गिक संसाधन से जल प्राप्त करने वाले तथा सरिताओं में बाहिस्राव का निस्सारण करने वाले स्थानीय निकायों प्रभार्य वार्षिक सम्मति नवीनीकरण फीस तथा सम्मति फीस निम्नानुसार होगी :—

1.	नगर निगम	रुपये 3,000
2.	नगरपालिका	रुपये 2,000
3.	नगर पंचायत	रुपये 1,000
4.	अन्य	रुपये 500

उपरोक्त सम्मति फीस तथा सम्मति नवीनीकरण फीस इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंग;

परंतु इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व प्राप्त सम्मति आवेदन और सम्मति नवीनीकरण आवेदन, आवेदन के लंबित रहने के कारण बढ़ी हुई फीस के अंतर का संदाय करने के दायित्वाधीन नहीं होंगे, तथा इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व प्राप्त सम्मति नवीनीकरण आवेदन में वर्तमान अनुसूची अनुसार फीस संदाय होगा."

Raipur, the 31st May 2003

No. 883/1018/आपर्या/2003.— In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), the State Government, after consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board, hereby makes the following further amendments in the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent) Chhattisgarh Rules, 1975, namely :—